झारखण्ड सरकार

कार्यालय, नगर पंचायत, लातेहार

जिला– लातेहार

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 09/2016–17

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1. विभाग का नाम :–	नगर पंचायत, लातेहार।
2. विज्ञापनदाता का पदनामः–	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार।
3. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :–	नगर पंचायत, कार्यालय लातेहार।
4. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि :–	**09.01.2017 कार्य दिवस में कार्यालय अवधि तक।**
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :–	कार्यालय, नगर पंचायत, लातेहार।
6. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समयः–	**10.01.2017 को 2.00 बजे दिन तक।**
7. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :–	**10.01.2017 को 3.00 बजे अपराहन्।**
8. निविदा खोलने का स्थान :–	नगर पंचायत, लातेहार के सभागार में।

कार्य का विवरण

ग्रुप सं0	कार्य का नाम एवं विवरण	प्राक्कलीत राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मुल्य	कार्यादेश निर्गत की तिथि से कार्य पूर्ण करने की अवधि
शौचालय निर्माण।					
1	वार्ड संख्या 03 डुरूआ हरिजन टोला के पास सामुदायिक शौचालय का निर्माण।	2435600.00	48800.00	5000.00	90 दिन
2	वार्ड संख्या 04 डुरूआ कुकुरटंगी के पास सामुदायिक शौचालय का निर्माण।	2435600.00	48800.00	5000.00	90 दिन
3	वार्ड संख्या 08 लातेहार शिवपुरी रोड में ऑगनबाड़ी केन्द्र के पास सामुदायिक शौचालय का निर्माण।	2435600.00	48800.00	5000.00	90 दिन
4	वार्ड संख्या 06 लातेहार बाजारटांड स्थित शिव मंदिर के बगल में सामुदायिक शौचालय का निर्माण।	2435600.00	48800.00	5000.00	90 दिन
5	नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक शौचालय का निर्माण।	2435600.00	48800.00	5000.00	90 दिन

नियम एवं शर्त

1. नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय में समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग लेगें।
2. परिमाण विपत्र की राशि का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक जो **कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार** के नाम से देय हो को उपलब्ध कराने के पश्चात ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा। यह राशि लौटायी नही जायेगी। परिमाण विपत्र क्रय करते समय संवेदक को समुचित श्रेणी में निबंधित होने का प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को निविदा के साथ समुचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण पत्र, अध्यतन आयकर प्रमाण पत्र (आयकर एकनॉलेजमेन्ट एवं पैन कार्ड), अध्यतन बिक्री कर सफाया (बिक्री कर क्लीयरेन्स), प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन एवं TIN No., अध्यतन आचरण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणीत छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा के साथ अग्रधन की राशि का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम), Fixed Depostit Receipt any Nationalised Bank accecptable from validity of Three Year. जमा करना होगा जो **कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार** के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज्ड) रहेगा।
5. किसी भी परिस्थिति में प्राक्कलन का पुनरीक्षण नही किया जायेगा। साथ ही किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया लातेहार न्यायालय में विचारणीय होगा ।
6. निविदा **10.01.2017 को 3.00 बजे अपराहन् में** प्राप्त निविदाओं को नगर पंचायत, लातेहार हेतु गठित निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा।
7. निविदा कागजात प्राप्त करने हेतु संवेदक स्वयं या अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत कर निविदा कागजात प्राप्त कर सकेंगे।
8. कार्य आवंटित होने के 03 दिनों के अन्दर संवेदक को F2 में एकरारनामा कर लेना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी। तथा दूसरे संवेदक को कार्य आवंटित कर दी जायगी।
9. निर्माण कार्य पूर्ण होने से तीन वर्षो तक मौलिक कार्यों का रख–रखाव संवेदक को अपने खर्च पर करना होगा।
10. बिना कारण बताये किसी भी निविदा को पूर्णरूपेण या आंशिक रूप से रद्द करने या स्थगित करने या एक ही निविदा को एक से अधिक संवेदको के बीच बॉट कर कार्य आवंटित करने का अधिकार निविदा समिति को सुरक्षित रहेगा। जिन्हे कही भी चुनौती नही दी जायेगी।
11. कार्य प्रारम्भ करते ही संवेदक को कार्य से संबंधित सूचनाओं का सूचना पट्ट का अधिष्ठापन संबंधित स्थल पर करना होगा, जो अनिवार्य होगा।
12. स–शर्त एवं अस्पष्ट निविदा मान्य नही होगी, साथ ही निविदा डालते समय लिफाफा के उपर निविदा संख्या एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
13. संवेदक कार्य में ए0सी0सी0/कोर्णाक/अलट्रा टेक/लार्फाज या अन्य ब्राण्ड जो जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत है का ही इस्तेमाल करेगें। सिमेन्ट की गुणवता में गड़बडी पाये जाने पर संवेदक के विरूद्व कड़ी कारवाई की जायेगी।

14. कार्य आवंटन के पश्चात निर्धारित अवधि तक ही कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा, तदोपरान्त कार्य से संबंधित राशि का भुगतान की जायेगी।
15. निविदा दर की न्यूनतम सीमा 10 **प्रतिशत** एवं अधिकतम सीमा अनुसूचित दर तक ही मान्य होगी। साथ ही आवंटन प्राप्त होने पर एकरारनामा किया जायेगा ।
16. संवेदक त्रुटीपूर्ण समाग्रियों की आपूर्ति एवं उपयोग तथा निर्माण कार्य की गुणवता के लिये पूर्णतया दोषि माने जायेगें।
17. निविदा देने के पूर्व संवेदक स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दें। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा बाद में मान्य नही होगा।
18. बिना अग्रधन या बांछीत राशि से कम राशि के अग्रधन के साथ प्राप्त होने वाली निविदा अमान्य समझा जायेगा।
19. संवेदको का चयन नगर पंचायत, लातेहार हेतु गठित निविदा निष्पादन समिति के समक्ष किया जायेगा एवं सफल निविदादाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
20. समय–समय पर नगर विकास विभाग रॉची द्वारा निर्गत आदेश/निदेश का पालन करना अनिर्वाय होगा, कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार एवं उपायुक्त, लातेहार द्वारा निर्गत आदेश का पालन संबंधित संवेदक को करना होगा।
21. निर्माण कार्य में लगने वाले सामग्रियों एवं क्यूब की जॉच आवश्यकता पड़ने पर प्रभारी अभियंता के निदेशानुसार प्रयोगशाला में कराई जायेगी, जिस पर होने वाले व्यय का वहन संवेदक को स्वयं करना होगा ।
22. कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सामग्रियों का देख–रेख स्वयं संवेदक को करना होगा।
23. विज्ञापनदाता द्वारा विभागीय रूप से योजना में लगने वाली कोई भी सामग्री नही दी जायेगी साथ ही कार्य के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर अतिरिक्त दावा मान्य नही होगा।
24. कार्य आवंटन के पश्चात एकरारनामा के पूर्व प्राक्कलीत राशि का तीन प्रतिशत प्रारंभिक जमानत राशि का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम), Fixed Depostit Receipt any Nationalised Bank accecptable from validity of Three Year. जमा करना होगा जो **कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार** के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज्ड) रहेगा।
25. संवेदक द्वारा संबंधित निर्माण योजना में प्रत्येक चरण (यथा भवन निर्माण के क्रम में प्लीन्थ लेबल, डोर लेबल एवं छत लेबल निर्माण) के कार्य के सभी स्तरों का फोटोग्राफ उपलब्ध कराना अतिआवश्यक होगा, अन्यथा विपत्र के भुगतान पर रोक लगाया जा सकता है।
26. संवेदक को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित स्थल का ZERO Lebal Photograph उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
27. एकरारनामा भूमि की उपलब्धता के उपरान्त ही किया जायेगा। इन कार्यों के एकरारनामा में विलम्ब होने पर संवेदक द्वारा किये गये कोई भी दावा मान्य नही होगा। भूमि की उपलब्धता के प्रत्यासा में निविदा निकाली जा रही है। यदि मान्य हो तो ही संवेदक निविदा डालें।
28. उपरोक्त निविदा के कार्यो का आवंटन प्राप्त होने के उपरांत ही चयनित संवेदको के साथ एकरारनामा किया जायेगा। विलम्ब के लिए अलग से कोई भी दावा मान्य नही होगा, यदि मान्य हो तो ही संवेदक निविदा डालें।
29. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्य दिवस में नगर पंचायत, लातेहार से प्राप्त किया जा सकता है।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार।

ज्ञापांक 1546/दिनांक 17-12-2016

प्रतिलिपि :– संवाददाता दैनीक समाचार पत्र, प्रभात खबर, दैनिक भाष्कर एवं हिन्दुस्तान लातेहार को उपरोक्त निविदा के प्रकाशन हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन **5,000.00 (पांच हजार)** रू0 के अंतर्गत ही करना सूनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– डी. आई. ओ., एन. आई. सी. लातेहार को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निविदा को जिला के वेवसाईड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संबंधित पार्षद नगर पंचायत, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, लातेहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, रांची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

17/12/16

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार।
17/12/16